न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 774 / 2022

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र बस्तीराम जाति चमार निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. रेन्जर वन विभाग नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांकः 27/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 200 / 201 की कुल 64.1800 हैक्ट भूमि में से ख0न0 342 की हाल ख0न0 265 मं 12.65 हैक्ट गै0मु0 वन विभाग के नाम दर्ज है जो की सायल के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व बजड़ भूमि को नोतोड़ करके निकाला गया था वाद भूमि पर सायल निरन्तर काबिज है। सम्वत 2012 से 2015 की गिरदावरी में लेखराम पुत्र बस्तीराम कके नाम रकबा दर्ज काश्तकार है।

आवंटन आदेश दिनांक 21.02.1968 के अनुसार सायल उक्त भूमि का गैरखातेदार काश्तकार है तथा 10 वर्ष से ज्यादा कब्जा काश्त होने के कारण सायल उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। इसलिए सायल गै0मु0 वन विभाग का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

भूमि गैरसायल वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण सायल को उसके कब्जा काश्त से मदाखलत बैजा करना चाहते हैं। जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसालान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे एवं फसल नष्ट न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 200 / 201 के ख.न. 265 की कुल 12.729 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गै0मु0 वन विभाग के नाम दर्ज है जिसमें से प्रार्थी ने 12.65 हैक्ट भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है। वर्तमान मे भूमि गै0मु0 वन विभाग के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की भूमि कैसे दर्ज हुई है एवं वन विभाग को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested